

FTS-18704



## ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट नं.-01, सैकटर-नॉलेज पार्क-04, ग्रेटर नौएडा, जिला गौतमबुद्धनगर, उ.प्र.

पत्रांक- ग्रेनो/बी.आर.एस. / 2020/ 783  
दिनांक 03 फ़रवरी, 2020  
(०३)

### कार्यालय-आदेश

शासनादेश संख्या— 3804/77-4— 19-142एन/08, दिनांक 05.12.2019 में नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को पूरा करने एवं होम बायर्स को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से बिल्डर परियोजनाओं में शून्यकाल दिये जाने तथा समय विस्तरण दिये जाने से सम्बन्धित नीति निर्धारित की गयी है। (छायाप्रति संलग्न)

उपरोक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित नीति को ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अंगीकृत किये जाने हेतु ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 117वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.02.2020 में मद संख्या—117/8 में प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित करते हुए यह निर्देश दिये गये हैं कि इस पॉलिसी के तहत निर्णय, कमेटी की संस्तुति पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्तर से लिये जायेंगे। अगली बोर्ड बैठक में निर्णय से बोर्ड को अवगत कराया जायेगा। तदानुसार बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक— यथोपरि।

(कृष्ण कुमार गुप्त)  
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

#### प्रतिलिपि—

- स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी) के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- समस्त विभागाध्यक्ष।
- प्रबंधक (सिस्टम) को प्राधिकरण की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

29.02.2020

HTS NO/Chm/93585

05/12/19

संख्या-३८०५ /७७-४-१९-१६२८३/०५

प्रेषक,

आलोक कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे,  
औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-४

लेखनका : दिनांक ०५ दिसंबर, 2019

विषय:- अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को भूरा करने एवं होम बायर्स को जाहिर पहुंचाने विषयक नीति निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

आम्रपाली समूह के रियल इस्टेट परियोजनाओं के सम्बन्ध में मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-९४०/२०१७ में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2019 में नौएडा एवं ग्रेटर नौएडा प्राधिकरणों के लिए दिए गए आदेश का सारांश आंश निम्नवत् है-

ALED (4)

Sot+LED

०५/१२/१९

OSD (B)


Sot+ ACO (4)  
05/12/19

Concerned Ministry of Central Government, as well as the State Government and the Secretary of Housing and Urban Development, are directed to ensure that appropriate action is taken as against leaseholders concerning such similar projects at Noida and Greater Noida and other places in various States, where projects have not been completed. They are further directed to ensure that projects are completed in a time-bound manner as contemplated in RERA and home buyers are not defrauded.

2. मा० सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश एवं एन०सी०आर० क्षेत्र के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में ग्रुप हाउसिंग/बिल्डर्स सर्किम में बिल्डर्स/डेवलपर्स द्वारा फ्लैट एवं भूखण्ड आवैटियों को कब्जा प्रदान न किए जाने के कारण स्तरन्वयन समस्याओं का समाधान किया जाना आवश्यक है। अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपन्न शासन द्वारा नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग

mgs

mgs



OSD  
05/12/19

परियोजनाओं को पूरा करने एवं होम बायर्स को सहत पहुँचाने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :—

- (1) आवंटी/विकासकर्ताओं को प्राधिकरण द्वारा निम्न परिस्थितियों में "शून्य अवधि" अनुमन्य करायी जायेगी :—
- (अ) यदि प्राधिकरण की ब्रुटि के कारण प्राधिकरण द्वारा आवंटी/विकासकर्ता को आवंटित भूमि/भूखण्ड का कब्जा हस्तगत नहीं हो पा रहा है। साथ ही ऐसे प्रकरणों में ब्रुटि के लिए जांचोपरान्त पाये गये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा पृथक से आवश्यक कार्यवाही भी करायी जायेगी।
- (ब) न्यायालय के रथगन आदेश रहने के कारण आवंटन/पट्टा प्रलेख/फलों की प्रक्रिया पर जोक हो अथवा निर्माण कार्य आये नहीं किया जा सकता हो।
- (स) शासनावेश/प्राधिकरण बोर्ड के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में पट्टा प्रलेख निष्पादित न हो सका हो।
- (द) यदि किसी भूखण्ड का कब्जा दिया जा चुका है तथा पट्टा प्रलेख का निष्पादन भी हो चुका है, परन्तु आवंटित भूखण्ड के लिए क्यों पहुँच मार्ग नहीं है, जिसके कारण आवंटित भूखण्ड पर निर्माण/विकास किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इन प्रकरणों में Satellite Imagery द्वारा पुष्टि कराई जायेगी कि परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ न हुआ हो।

शून्य अवधि की गणना निम्नलिखित तरीके से की जायेगी :—

वेष्टपर्स को बुल आवंटित भूमि के आपेक्षा छुट का प्रतिशत	वेष्टपर्स को बुल आवंटित भूमि (प्रावृत्ति में)
आवंटनपर्स से अधिक	30 प्रतिशत से अधिक
अपर्याप्त के भूखण्ड	20 प्रतिशत से अधिक और 30 प्रतिशत तक
10 प्रतिशत से लम्बिक 20 प्रतिशत तक	25 प्रतिशत
10 प्रतिशत तक	आनुपातिक

शून्य अवधि की संपरीकरण सुविधा ऐसे विकासकर्ता को ही अनुमन्य होगी, जो फ्लैट बायर्स के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से जून, 2021 तक परियोजना पूर्ण करने का लिखित आश्वासन देते हैं और यदि उनके द्वारा दिए गए आश्वासन के कम में चिनाक 30.06.2021 तक अपनी परियोजना पूर्ण नहीं की जाती है तो शून्य अवधि से सम्बन्धित यह सुविधा निरस्त कर दी जाएगी।

(2) जिस अवधि के लिए शून्य काल अनुमन्य किया जायेगा, उस अवधि को निर्माण हेतु अनुमन्य समय-सीमा में शामिल नहीं किया जायेगा।

(3) समय विस्तारण शुल्क का रोपण उत्तम ही क्षेत्रफल पर किया जाय, जिसपर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है एवं जिस अंश

मार्फत

पर प्राधिकरण द्वारा अधिभोग प्रमाण—पत्र जारी नहीं किया गया है, बशर्ते प्राधिकरण द्वारा आंशिक अधिभोग प्रमाण—पत्र उपलब्ध करा दिया गया हो।

(4) जिन विकास कर्ताओं/आवंटियों द्वारा अवरुद्ध परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए यथोचित प्रयास नहीं किया गया है, ऐसी परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्राधिकरणों को यह अधिकार होगा कि वे को—देवलपर द्वारा उन परियोजनाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही की जाय।

(5) ऐसे विकासकर्ता जो फ्लैट बायर्स के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से जून, 2021 तक परियोजना पूर्ण करने का लिखित आशंकासन देते हैं, उन्हें प्राधिकरणों द्वारा निम्नलिखित चालिका के अनुसार समय विस्तारण शुल्क से छूट प्रदान की जायेगी—

क्र.	व्यवस्था	छूट की अवधि		
		1	2	3
1.	परियोजना पूर्ण करने वाली अवधि जो प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की गई है।	5 वर्ष	7 वर्ष	7 वर्ष से अधिक
2.	समयावधि जिसमें समय विस्तारण शुल्क से छूट प्रदान की जायेगी।	3 वर्ष	2 वर्ष	1 वर्ष

यदि उनके द्वारा दिए गए आशंकासन के कम में इनांक 30.06.2021 तक अपनी परियोजना पूर्ण नहीं की जाती है तो समय विस्तारण शुल्क से समन्वित छूट निरस्त कर दी जाएगी।

(6) उपरोक्त प्रस्तर 2(1) लक्षा 2(5) में परियोजना पूर्ण करने की शर्त तभी पूर्ण सारी जायेगी जबकि आवंटी/विकासकर्ता द्वारा समन्वित प्राधिकरण के बाइलाज के प्राविधानों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित आवेदन पत्र दिनांक ३१ मई, 2021 तक प्रस्तुत कर दिया गया हो तथा प्राधिकरण द्वारा इनिति की जायी जाएँ, यदि कोई हो, का निराकरण कर पूर्णता प्रमाण पत्र इनांक 30 जून, 2021 तक प्राप्त कर लिया गया हो।

3. यह नीति सिर्फ रेजीडेंशियल ग्रुप हाउसिंग सोसायटी पर लागू होगी और इस हेतु आवंटी/विकासकर्ता को समन्वित प्राधिकरण में इस योजना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 02 माह के अन्दर आवेदन करना होगा।

4. यह नीति मात्र अपूर्ण ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के लिये है तथा अन्य सभी परियोजनाओं के लिए प्राधिकरणों के स्तर पर बनायी गयी प्रभावी नीति ही लागू रहेगी। यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो समय विस्तारण शुल्क

प्राधिकरणों को प्राप्त हो चुका है उसकी कोई वापरी अथवा समायोजन नहीं किया जायेगा। आवंटी/विकासकर्ता द्वारा इस आशय का भी शपथ पत्र प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा कि इस नीति के अन्तर्गत यो भी सुविधा/लाभ उसे प्राप्त होगे उक्त से सम्बन्धित कोई भी धनराशि होम खायर्स से नहीं ली जायेगी।

5. इस संबंध में मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिए गए उक्त निर्णयों का कियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभालीक

(आलोक कुमार)

प्रसुख सचिव।

संख्या—३४०५ (१) / ७७—४—१० तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थे एवं आधश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उप्रप्रशासन।
- 2 अपर मुख्य सचिव, चित्त चिनाम, उप्रप्रशासन।
- 3 गार्ड फर्झल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)

चप सचिव।